प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 01 नवम्बर, 2019

विषय: अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के निमित्त भूमि क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-406/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 26 सितम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु भूमि क्रय के लिए पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहत् निर्माण कार्य'' में पुनर्विनियोजन के माध्यम से रू0 2,40,26,97,000/- (रूपए दो अरब चालीस करोड़ छब्बीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) की धन व्यवस्था होने के उपरान्त रू0 1,25,91,89,242/- (रूपए एक अरब पच्चीस करोड़ इक्यानवे लाख नवासी हजार दो सौ बयालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं उक्त धनराशि को जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर उपलब्ध कराए जाने हेतु स्वीकृत प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-25/2019/436/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 05 मार्च, 2019 द्वारा अनुमानित लागत लगभग रू0 6,40,26,96,501/- पर प्रशासकीय अनुमोदन के साथ रू0 200.00 करोड़ तथा शासनादेश संख्या-1235/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 01 जुलाई, 2019 द्वारा रू0 200.00 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि रू0 400.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है। धनराशि रू0 1,25,91,89,242/- को अवमुक्त किए जाने के पश्चात् प्रशासकीय रूप से अनुमोदित धनराशि रू0 6,40,26,96,501/- में से धनराशि रू0 1,14,35,07,758/- (रूपए एक अरब चौदह करोड़ पैंतीस लाख सात हजार सात सौ अठ्ठावन मात्र) अवमुक्त किए जाने हेतु अवशेष रहेगी।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2019 में किए गए प्रस्तावानुसार शासनादेश संख्या-88/2019/1863/छप्पन-2019-93/2018 दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 द्वारा सम्बन्धित मद में पुनर्विनियोजन के माध्यम से रू0 24026.97 लाख (रूपए दो अरब चालीस करोड़ छब्बीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें से रू0 1,25,91,89,242/- (रूपए एक अरब पच्चीस करोड़ इक्यानवे लाख नवासी हजार दो सौ बयालीस मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जानी है।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने एवं अन्य सम्बन्धी कार्यों हेतु भूमि के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रू0 1,25,91,89,242/- (रूपए एक अरब पच्चीस करोड़ इक्यानवे लाख नवासी हजार दो सौ बयालीस मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(3) जिलाधिकारी, अयोध्या और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने एवं अन्य सम्बन्धी कार्यों हेतु अर्जित की जाने वाली भूमि के निमित्त ही व्यय की जाएगी।

(4) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 में नहीं रखा जाएगा।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 1,25,91,89,242/- (रूपए एक अरब पच्चीस करोड़ इक्यानवे लाख नवासी हजार दो सौ बयालीस मात्र) आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, अयोध्या के निवर्तन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

6- कृपया भूमि के क्रय/अर्जन हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, अयोध्या से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

7- जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखा-लेखाशीर्षक ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-22-अयोध्या में एयरपोर्ट-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रदत्त प्राधिकार के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव

संख्या-94/2019/1884(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4. जिलाधिकारी, अयोध्या।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।
6. निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13.
8. निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
9. समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।